"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 मई 2010—ज्येष्ठ 5, शक 1932

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/2010/32.— राज्य शासन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री सुभाष राव, को एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. उपर्युक्त नियुक्ति राज्य शासन के आगामी आदेश पर्यन्त अथवा श्री सुभाष राव द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष, जो भी अवधि पहले हो, के लिये होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.